रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2729] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2016/कार्तिक 30, 1938
No. 2729] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2016/KARTIKA 30, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2016

का.आ. 3493(अ).— यत: दिल्ली मुख्य योजना-2021 में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.11.2014 की का.आ. 2921(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली की मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त जोनल विकास योजना 2021 के लिए जोन जी में निम्नलिखित संशोधन करती है:

संशोधन:

लिखित क्षेत्र का भूउपयोग निम्नडी में आने वाले निम्न- जोनविवरणानुसार परिवर्तित किया जाता हैः

अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि.मु.यो2021-.)	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
योजना ज़ोन 'डी' में आने वाले पॉकेट-III , राउज़ एवेन्यू नई दिल्ली में चाइल्ड रिलीफ एंड यू (क्राई) के लिए प्लॉट।	वर्ग 1015 मीटर	'आवासीय'	'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं'	**उत्तर** :जहांगीर रोड **दक्षिणः** एल एवं डीओ द्वारा सीपीआई (एम) को आबंटित प्लॉट **पूर्वः** 20 मीटर चौड़ा रोड (प्रस्तावित) **पश्चिमः** डिस्पैन्सरी

[फा. सं. के-13011/10/2014-डीडी.I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2016

S.O. 3493(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 2921(E), dated 15.11.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section-44 of the Delhi Development Act 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 'objections/suggestions' received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delh-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	**Area**	**Land use (MPD-2021)**	**Land use changed to**	**Boundaries**
1	2	3	4	5
Plot for Child Relief & You (CRY) in Pocket-III, Rouse Avenue, New Delhi falling in Planning Zone-'D'.	1015 sqm.	'Residential'	'Public & Semi-Public facilities'	**North:** Jahangir Road **South:** Plot allotted by L&DO to CPI(M) **East:** Road 20m wide (Proposed) **West:** Dispensary

[F. No. K-13011/10/2014-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.22 15:28:01 +05'30'